[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 02/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. .....(अ).– केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2017-केन्द्रीय कर, 29 दिसंबर, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के छठे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी, जो 250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय केन्द्रीय कर की कुल रकम शून्य है।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)

निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 73/2017-केन्द्रीय कर, 29 दिसंबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी

और उसका भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 515(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2022-केन्द्रीय कर, 5 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।